

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 548/2018-19



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

श्री दिवा कुजूर

- विक्रेता

श्री सुशील बखला

- क्रेता

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|-----------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-----|----|-----|------|--|
| 30.05.20 | <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>आवेदक श्री दिवा कुजूर पिता स्व० बुधवा कुजूर ग्राम-हाकाजांग, पोस्ट-लोधमा, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने श्री सुशील बखला पिता गोयन्दा बखला ग्राम-हाकाजांग, पोस्ट-लोधमा, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा (एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>हाकाजांग</td><td>161</td><td>46</td><td>262</td><td>0.22</td></tr></tbody></table> <p>अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 560 दिनांक 22.05.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता के द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भूमि बिक्री की अनुशंसा नहीं की गयी है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> | ग्राम | थाना नं० | खाता नं० | खेसरा सं० | रकबा (एकड़ में) | हाकाजांग | 161 | 46 | 262 | 0.22 | |
| ग्राम | थाना नं० | खाता नं० | खेसरा सं० | रकबा (एकड़ में) | | | | | | | | |
| हाकाजांग | 161 | 46 | 262 | 0.22 | | | | | | | | |